संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, अटल नगर जिला रायपुर
Directorate of Town & Country Planning, Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar District Raipur

मुख्यालय
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नंबर–4,
तीसरी मंजिल, नवा रायपुर
दूरभाष -- 0771–2511852
फैक्स 0771–2511854
Email : cgtownplan@gmail.com

HEAD OFFICE :
Indiravati Bhavan, Block No- 04
3rd Floor, Nava Raipur - 492 002
Tel. : 0771–2511852
Fax: 0771–2511854
Email : cgtownplan@gmail.com

क्रमांक / 86 /शैडो क्रं. 157 / 14 / नग्रानि. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/09 / 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, ...समस्त......... छ.ग.।

विषय :– छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन तथा निवेश क्षेत्र के बाहर के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :– (1) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक 2625 / शैडो क्रं. 157 / 14 / नग्रानि. / 2014 दिनांक 29.09.2014
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक 3927 / नग्रानि. / 2017 दिनांक 23.11.2017

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 तथा निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित सक्षम प्राधिकारी के माध्यम् से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण हेतु जारी किए गऐ निर्देशों में संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित भू–व्यपवर्तन हेतु अभिमत से संबंधित समस्त प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा संचालनालय न भेजे जाकर अपने स्तर पर ही छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 के तहत वांछित दस्तावेजों का परीक्षण कर छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए निराकरण किए जावेंगे।

अनुज्ञा जारी करने के पूर्व नियोजन–मापदण्डों के अनुसार प्रकरण का समग्र परीक्षण कर भूमि उपयोग की संगतता, निर्धारित चौड़ाई के पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता को ध्यान में रखना तथा आस–पास के विकास की गतिविधियों का पूर्व स्वीकृत अभिन्यास से समन्वय करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जावे।

नवा रायपुर अटल नगर विशेष क्षेत्र की सीमा से 05 किलोमीटर की परिधि अंतर्गत आने वाले ग्रामों में स्थित क्षेत्रों के ऐसे प्रकरण संचालनालय भेजे जावेगें।

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अंतर्गत वर्तमान भू उपयोग में यदि उसी भू उपयोग की अनुज्ञा चाही जाती है, तो ऐसे प्रकरण भी संचालनालय भेजने की आवश्यकता नही हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / 87–88 /शैडो क्रं. 157 / 14 / नग्रानि. / 2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/09 / 2019

प्रतिलिप :–

1– विशेष सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2– कलेक्टर, जिला ....समस्त......... छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

97.